FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

OF JOINT COMMITTEE

IN OA 695/2019 (PB)

HARDESH KIRAR

VS

State Of MP and ORS

Date of Inspection- 16.06.2021 [Enclosure A]

Committee Members:-

I. Assistant Engineer, Regional Office, MPPCB, Bhopal
II. Sub- Engineer, Regional Office, MPPCB, Bhopal

Date of Inspection: - 16.03.2021 [Enclosure B]

Committee Members:-

I. SDM (Revenue), Govindpura, Bhopal
II. Additional Commissioner , Nagar Nigam Bhopal
III. Executive Engineer ,Regional Office, MPPCB, Bhopal
IV. Executive Engineer, Nagar Nigam Bhopal
V. Encroachment -in-charge, Nagar Nigam Bhopal
VI. Tehsildar, Govindpura, Bhopal
VII. Assistant Engineer, Regional Office, MPPCB, Bhopal
VIII. Sub- Engineer, Regional Office, MPPCB, Bhopal

Date of Inspection: - 12.01.2021 [Enclosure C]

Committee Members:-

I. SDM (Revenue), Govindpura, Bhopal
II. Encroachment -in-charge, Nagar Nigam Bhopal
III. Executive Engineer ,Regional Office, MPPCB, Bhopal

निरीक्षण प्रतिवेदन

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 695/2019 द्वारा दिनांक 06.10.2020 कों पारित आदेश के अनुपालन वावत्।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क. 751 दिनांक 07.06.2021

निरीक्षण दिनांक :– 16.06.2021

निरीक्षणकर्ता : – श्री सलमान खान उपयंत्री, श्री आदर्श मालवीय सहायक यंत्री (C)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 695/2019 (ह्रदेश किरार विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन) में पारित आदेश के पालनार्थ गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 16.03.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अनुसार शिकायतकर्ता ह्रदेश किरार एवं प्रतिवादी राज होम्स को समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेश के पालनार्थ निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था :–

1. शिकायतकर्ता ह्रदेश किरार को उनके द्वारा निर्मित अवैध बाउंड्री वॉल को हटाने हेतु निर्देशित किया गया था।
2. प्रतिवादी राज होम्स द्वारा शिकायतकर्ता ह्रदेश किरार के मकान के पीछे से नाले की चौड़ाई एवं गहराई बढ़ाकर नाला चैनलाईजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना था एवं पूर्व में बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़कर नाले का प्रवाह नवनिर्मित नाले से जोड़ा जाना था।
3. प्रतिवादी राज होम्स द्वारा नाले में प्रवाहित हो रहे सीवेज को माहोली दामखेड़ा सीवेज पंप हाउस से जोड़ा जाना था।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार एवं मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 751 दिनांक 07.06.2021 के सम्बन्ध में चाही गई अद्यतन जानकारी हेतु दिनांक 16.06.2021 को नाले का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अनुसार किये जा रहे कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1. शिकायतकर्ता द्वारा जो अवैध नाले का डायवर्सन किया गया था वह हटा लिया गया है परन्तु नवनिर्मित नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण नाले का प्रवाह पूर्व स्थिति अनुसार ही पाया गया।
2. मेसर्स राज होम्स द्वारा नाले के समानांतर में चैनेलाईज्ड नाले का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें नाले की गहराई एवं चौड़ाई बढ़ा दी गई है, नाला चैनलाईजेशन का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चूका है।
3. नाले का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बरसाती नाले का प्रवाह नवनिर्मित नाले में कर दिया जावेगा।
4. प्रतिवादी राज होम्स द्वारा नाले में प्रवाहित हो रहे सीवेज को माहोली दामखेड़ा सीवेज पंप हाउस से जोड़ा जाना था जिसका कार्य आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

निरीक्षण अनुसार मेसर्स राज होम्स को नाले का निर्माण कार्य तथा नाले में प्रवाहित हो रहे सीवेज को माहोली दामखेड़ा सीवेज पंप हाउस से जोडने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण प्रतिवेदन फोटॉग्राफ्स संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

(आदर्श मालवीय)	(सलमान खान)
सहायक यंत्री (C)	उपयंत्री
क्षे.का.म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल	क्षे.का.म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल

[TRANSLATED COPY]

Status Report

Subject: In compliance of order dated 06.10.2020 in case of case no. 695/2019 (Hirdesh Kirar v/s Govt. of Madhya Pradesh) by the Hon'ble NGT, Bhopal Bench.

Reference: HOMPPCB Letter no. 751 dated 07.06.2021.

Inspection Date: 16.06.2021

Inspected by: Shri Salman Khan Sub-Engineer, Shri Adarsh Malviya Assistant Engineer (C)

In compliance of order dated 06.10.2020 in case of 695/2019 (Hirdesh Kirar v/s Govt. of Madhya Pradesh) by the Hon'ble NGT, Bhopal Bench a joint committee inspected the site on dated 16.03.2021 (status report of joint committee is attached). The following were the main key points as mentioned in the status report :-

1. M/s Raj Homes to channelise the drain by increasing its depth and width behind the complainant's house and to divert the flow of existing drain with the channelised drain.
2. M/s Raj Homes to lay down a sewage network under PPP mode to Maholi Damkheda Sewage Pumping House.

In the view of above as per the verbal directions received from the Regional Officer, MPPCB Bhopal and HO Letter no.751 dated 07.06.2021, an inspection was carried out by the undersigned on date 16.06.2021 to update with the progress on the matter. During the inspection following key points were noted on the progress of work:-

1. The construction of channelised drain is under process parallel to the existing drain with increased width and depth of the channel. 70% of the channelization work has been completed as on the day of inspection.
2. It was noted that a small portion of the wall has already been demolished to facilitate the construction work, the remaining portion of the wall will be demolished after the completion of channelisation work and the flow of existing drain will be diverted to the channelised drain.
3. The laying of sewage network under PPP mode to Maholi Damkheda Sewage Pumping House by M/s Raj Homes has not started yet.

With reference to the inspection, it is proposed that M/s Raj Homes be directed to complete the remaining channelisation work of the drain and laying of sewage network to the Maholi Damkheda Sewage Pumping Station at the earliest. The inspection report with photographs is being sent to you for further action.

(Adarsh Malviya)
Assistant Engineer (C)
RO MPPCB, Bhopal

(Salman Khan)
Sub Engineer
RO MPPCB, Bhopal

Inspection photographs of the site in the matter of NGT OA 695/219 on dated 16.06.2021

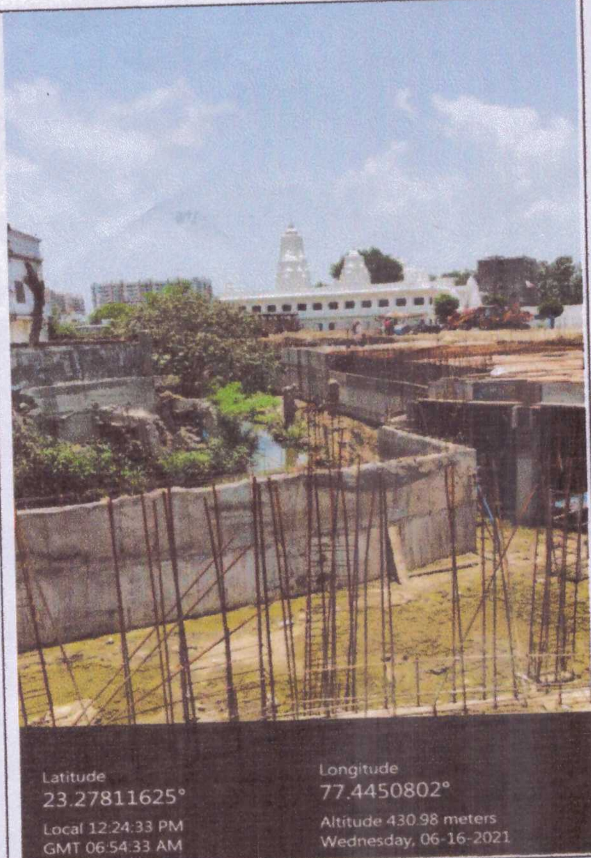

Construction work is progress

Boundary wall has been dismantled

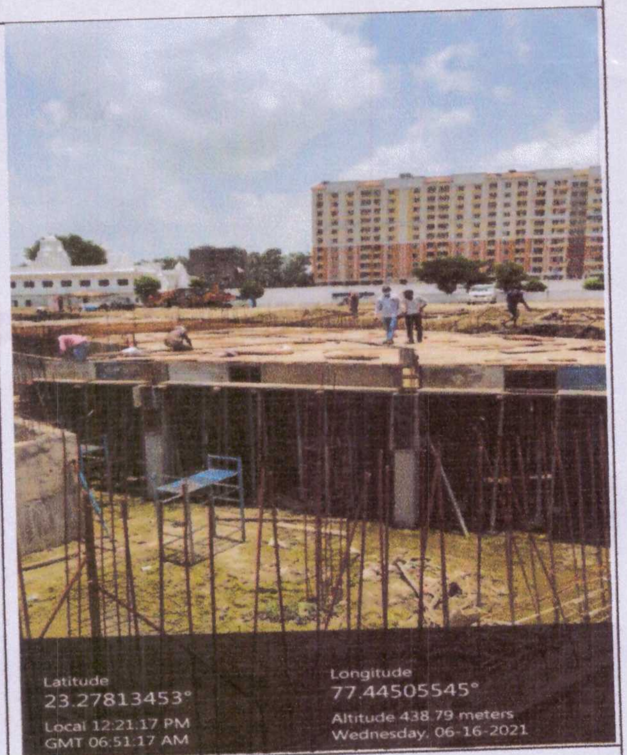

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 16
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

Outward No. 1450 RO /PCB/BPL/2019/NGT-695 Bhopal, Dated 18/ 03/ 2021

To,

Legal Officer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal (M.P.)

Sub: O.A. No. 695/2019 Hardesh Kirar V/s State of Madhya Pradesh.

Ref: Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi order dated 06.10.2020

With reference to the above case Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi by order dated 06.10.2020 directed, "Let further step be completed by the District Administration and the Nagar Nigam and report filed by State PCB on behalf the joint committee. As done earlier by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF".

As per direction, Sub Divisional Magistrate (SDM- Revenue) Govindpura, Bhopal - Shri Manoj Verma, Encroachment In-charge, Nagar Nigam Bhopal - Shri Nasir Khan & Executive Engineer MPPCB Bhopal - Shri A.K. Bisen jointly inspected the site on date 12.01.2021 mentioned in the order dated 06.10.2020.

On dated 16.03.2021 on the directions of Shri Manoj Verma (SDM Govindpura) Shri Manoj Shrivastava (Tehsildar - Govindpura, Bhopal), Shri Nasir Khan (Encroachment In-charge, BMC, Bhopal), Shri Anil Tatwade (Executive Engineer, BMC, Bhopal), Shri Salman Khan (Sub-Engineer, MPPCB Bhopal) and Shri Adarsh Malviya (Assistant Engineer (C), MPPCB Bhopal) jointly inspected the site mentioned in the order dated 06.10.2020.

The factual status is enclosed here with for necessary action please.

Encl: As above (Total Page – 18)

(Brajesh Sharma)
Regional Officer

Outward No. RO /PCB/BPL/2019/NGT-695 Bhopal, Dated / / 2021

Copy to:-

1. District Collector, Bhopal for information & necessary action please.
2. Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal for information & necessary action please.
3. Member Secretary. M.P. Pollution Control Board, for information please.
4. Advocate Smt. Parul Bhadoria M.P. Pollution Control Board, for information please.

(Brajesh Sharma)
Regional Officer

Status Report

Subject :- Order passed by Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi on dated 06.10.2020 in case OA no. 695/2019 (Hridesh Kirar V/s State of Madhya Pradesh).

As per the direction of Hon'ble NGT (PB), New Delhi on dated 06.10.2020, joint committee comprising the members Shri Manoj Shrivastava, Tehsildar, Govindpura Bhopal, Shri Radheshyam Baghel, Revenue Inspector, Govindpura Bhopal, Shri Jagdish Patel, Revenue Inspector, Govindpura Bhopal, Shri Adarsh Malviya, Assistant Engineer (C), MPPCB Bhopal, Shri Salman Khan, Sub-Engineer, MPPCB Bhopal, Shri Anil Tatwade, Executive Engineer, Nagar Nigam Bhopal, Zafar Sohail, Assistant Engineer, Nagar Nigam Bhopal, Shri Nasir Khan, Encroachment Incharge, Nagar Nigam Bhopal and Patwari Shri Ashish Mishra visited the site on dated 16.03.2021.Photographs are enclosed as **Annexure 1.**

1. During the joint committee visit complainant Shri Hridesh Kirar and Sanjay Mehta Director, Raj Homes have produced one agreement **Annexure 2** in which they have expressed their consent over the matters as explained below. They have also produced one affidavit in support of their mutual agreement as per **Annexure 3&4**.

2. Joint committee has inspected the whole site and found that remedial measures have been initiated by Raj Homes. Raj Homes has started channelizing the nallah behind Shri Hridesh Kirar's house, near house no. D 538 the nallah which was earlier 5ft deep and 10ft wide has been made 12ft deep and 20ft wide now. This nallah approaches the house of Shri Hridesh Kirar where it has been made wider by 30ft and deep 15ft.Along with this one more nallah which is coming from Kolua village meets in this nallah where it becomes 35ft wide. The above-mentioned nallah is being constructed 30ft away from Mr Kirar's house. This has resulted into 30 x 128 (ft) = 3480 sq.ft land availability which is a part of Mr Kirar's land. Similarly, in North direction also a land measuring 24 x 350 (ft) = 8400 sq.ft area also became available of Mr Kirar's land. With this the land of Mr Kirar is now not being affected by the nallah. Raj Homes has also initiated suitable arrangements from the channelizing of nallah water. Due to above arrangement Mr Kirar is now satisfied and has no issue with Raj Homes. Photographs and report dated 17/03/2021 in enclosed as **Annexure 5&6.**

3. Concerned officials from Nagar Nigam and Pollution Control Board have also approved this arrangement.

4. Shri Sanjay Mehta from Raj Homes apprised that they have channelized the nallah so that the water from the nallah would not enter into Kolua Village and Mr Kirar's House and even in condition of heavy rains the water from nallah will not affect the common people and will drain out in its own way without creating any problem.

5. Officials from Nagar Nigam approved the above-mentioned remedial measures and are also convinced that water even during the heavy rains will not enter into Kolua village and Mr Kirar's house.

6. Shri Hridesh Kirar has expressed his consent with the above-mentioned remedial measures and expressed that he has now no issues left with Raj Homes.

7. Sanjay Mehta from Raj Homes also told that under PPP mode a sewerage network upto Maholi Damkheda Sewage Pump House is also proposed, letter is enclosed as per **Annexure 7.**

8. The complainant Shri Hridesh Kirar has shown satisfaction with the work in progress as per **Annexure 8**.

(A.K. Bisen)
Executive Engineer
Regional Office,
MPPCB, Bhopal
Mob. No. 98272792723

(M.P. Singh)
Additional Commissioner
Bhopal
Mob. No. 9425184512

(Manoj Verma)
SDM (Revenue)
Govindpura,Bhopal
Mob.No. 9893091290

(Manoj Shrivastava)
Tehsildar
Govindpura, Bhopal
Mob. No. 9617039039

(Anil Tatwade)
Executive Engineer
Nagar Nigam, Bhopal
Mob. No. 9424499608

(Nasir Khan)
Encroachment Incharge
Nagar Nigam, Bhopal
Mob.No.9179860066

(Salman Khan)
Sub-Engineer
Regional Office,
MPPCB, Bhopal
Mob. No. 8770777169

(Adarsh Malviya)
Assistant Engineer (C)
Regional Office,
MPPCB, Bhopal
Mob. No. 9575912347

Annexure - 1

Joint Committee Inspection on the matter of NGT O.A. 695/2019 order dated 06.10.2020

Inspection Date : 16.03.2021

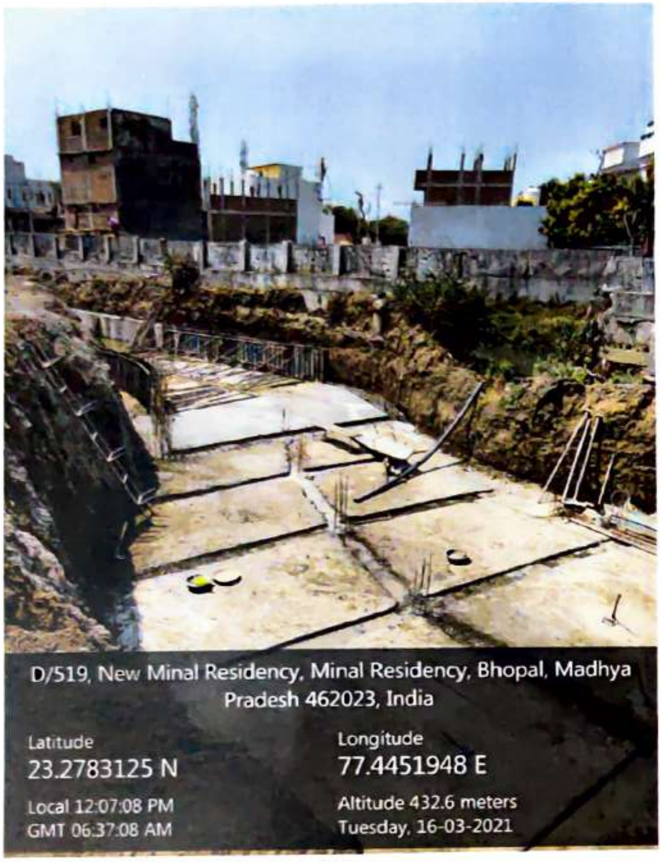

Photograph of remedial action in progress by Raj Homes under the directions of District Administration and BMC, Bhopal at the main point of dispute by channelising drain behind Hirdesh Kirar's house by increasing width and depth of drain at the confluence of Kolua drain and Raj Homes Drain as mentioned in the Panchnama.

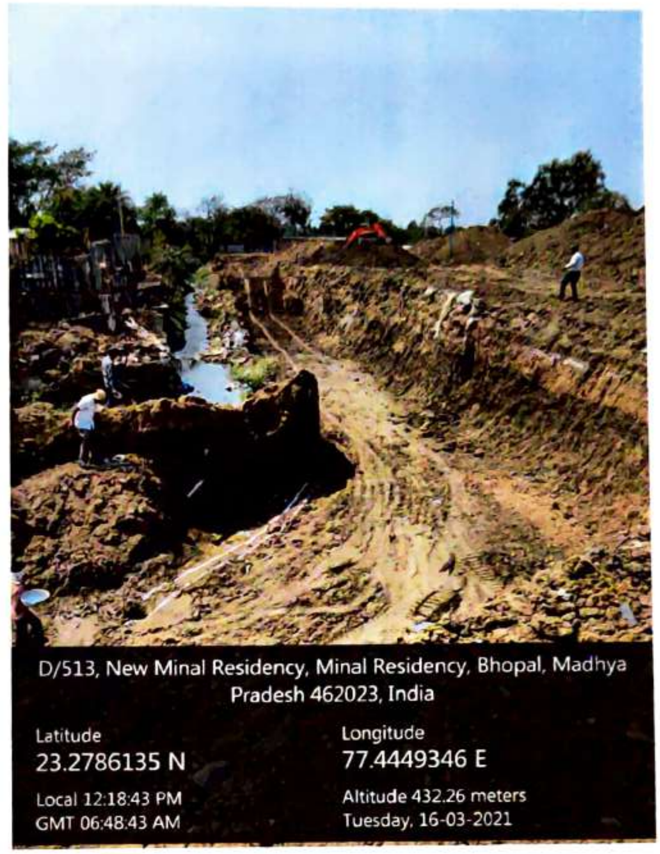

Photograph of remedial action in progress by Raj Homes under the directions of District Administration and BMC, Bhopal by channelising the drain

Annexure -

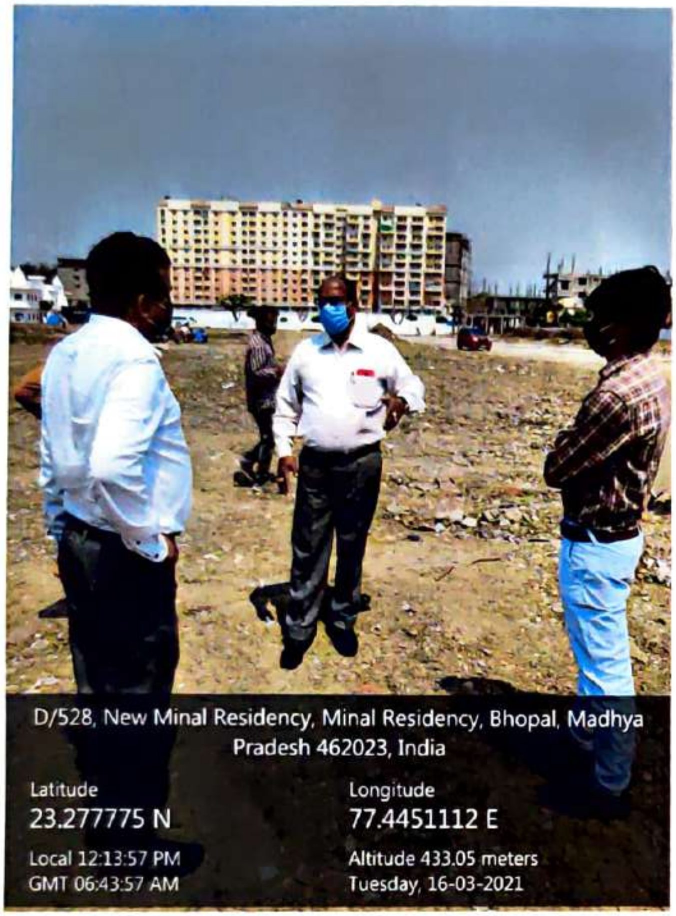

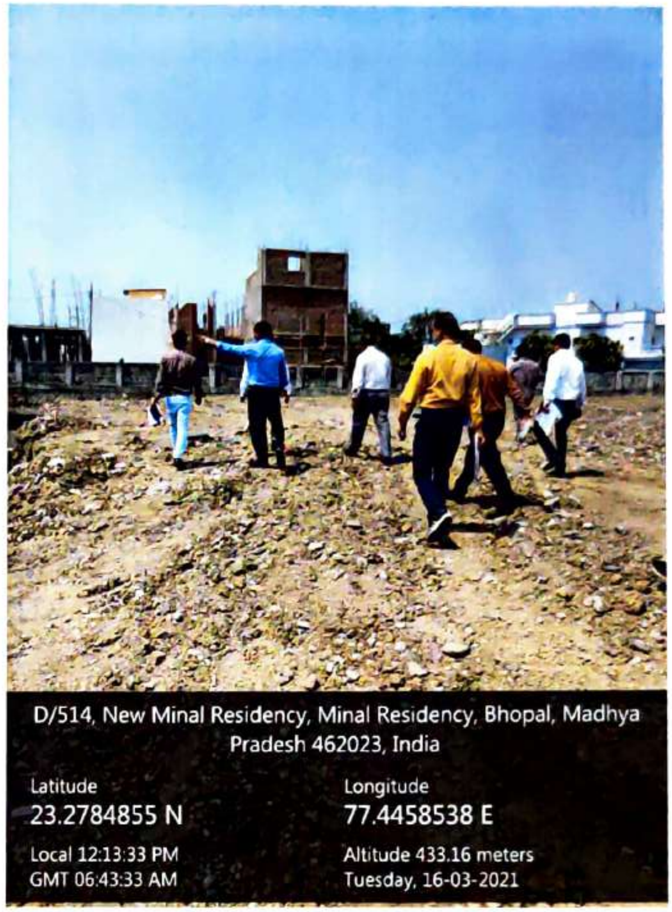

Photographs of Joint Inspection Team including Tehsildar, Nagar Nigam and MPPCB officers with complainant Hirdesh Kirar and Sanjay Mehta- Director, Raj Homes for status report of NGT 695/2019 order dated 16.10.2020

Ann-2 10

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code 01010506032021011001
Total E-Stamp Amount 1000
Govt. Stamp Duty (Rs.) 1000 Municipality Duty (Rs.) 0
Janpad Duty (Rs.) 0 Upkar Amount (Rs.) 0
Exempted Amount(Rs.) 0
E-Stamp Type NON-JUDICIAL
Issue Date & Time 06/03/2021 16:15:51
Service Provider or Issuer Details SHUBHAM JAIN/SP010541610202000084
SP/SRO/DRO/HO Details SHOP NO-10, 17, HOUSING BOARD COLONY, NEAR POLICE CHOWKI, KAROND, BHOPAL-HUZUR BHOPAL

Deed Details

Deed Type Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose RAZINAMA

First Party Details

Name HIRDESH KIRAR S/O D/O W/O C/O NAND KISHORE KIRAR
Address BINDIYA HOUSE, WARD NO-74, GRAM-KOLUAKALAN, BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons 1

Second Party Details

Organization Name Ms RAJ HOMES PVT LTD
Address 21, ZONE-II, M.P. NAGAR, BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons 1

RAZINAMA

SPECIAL ADHESIVE

Digitally signed by
SHUBHAM JAIN
Date: 2021.03.06 16:15:53
IST

राजीनामा

यह राजीनामा आज दिनांक 6/3/2024 को भोपाल में दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

प्रथम पक्षकार	ह्रदेश किरार आत्मज श्री एन.के. किरार आयु वयस्क निवासी–मकान न0– बिंदिया हाउस ग्राम कोलुआकलां, तहसील हुजूर वार्ड न0–74 जिला भोपाल।
द्वितीय पक्षकार	मेसर्स राज होम्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री संजय मेहता आत्मज श्री जी. एल. मेहता आयु 50 वर्ष पता–21, जोन–2 एम.पी. नगर भोपाल।

NOTARY GOVT. OF INDIA VALIDITY 22-5-2025

यह कि प्रथम पक्षकार खसरा कमांक–77/2 कोलुआ कला रकबा 0.93 एकड़ का भू–स्वामी है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्षकार द्वार स्वयं के निवास हेतु मकान का निमार्ण किया है। प्रथम पक्षकार के पूर्वी तथा उत्तर की ओर द्वितीय पक्षकार की भूमि है। प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार भूमि के मध्य एक नाला विद्यमान है। प्रथम पक्षकार द्वारा अपनी भूमि का दिनांक–18.06.2015 को राजस्व विभाग से सीमांकन करवाया था उक्त सीमांकन अनुसार 0.09 एकड़ भूमि द्वितीय पक्षकार के कब्जे में थी। इस संबंध में प्रथम पक्षकार द्वारा सिविल कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा अन्य न्यायालय में मुकदमें अथवा शिकायत दर्ज करा रखी थी। उक्त विवाद के निराकरण हेतु प्रथम एवं द्वितीय पचकार द्वारा उक्त राजीनामा निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जा रहा है :–

1) यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा उक्त नाले का चौड़ीकरण, गहरीकरण एवं चेनलाईजेशन किया गया है उक्त नाला द्वितीय पक्षकार की जगह अपनी निजी भूमि पर निर्माण कर रहा है उक्त नाले का निर्माण प्रथम पक्षकार की भूमि के पूर्वी हिस्से में वर्तमान बाउण्ड्री से 30 फीट छोड़कर किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप लगभग 3800 वर्गफीट भूमि प्रथम पक्षकार के हिस्से की भूमि वापस मिल जायेगी। इसी तरह प्रथम पक्षकार को उत्तरी हिस्से में उसकी भूमि में नाला वर्तमान में बह रहा है उस भूमि को छोड़कर द्वितीय पक्षकार की भूमि के तरफ राजस्व मूल नक्शे के अनुसार नाले का निर्माण किया जायेगा जिसके फलस्वरूप प्रथम पक्षकार की दीवार से राजस्व नक्शे के नाले तक की भूमि प्रथम पक्षकार के पास रहेगी। उक्त बटवारा दोनों पक्षों को मान्य है।

2) यह कि दिशा पूर्व में सीमांकन करने पर 09 डेसीमल लगभग 4000 वर्गफिट भूमि राज होम्स के कब्जे में पाई गयी थी अब द्वितीय पक्षकार संजय मेहता द्वारा वह जमीन ह्रिदेश किरार कि दीवार से 30फिट भूमि दिशा दक्षिण में, उत्तर की ओर देने को तैयार है इसके बाद वह नाला पक्का बनायेंगे साथ ही वह दीवार ओर 30 फिट में खोदा गया नाला वापस मिट्टी से भरकर समतल करके देंगे।

3) यह कि दिशा उत्तर में राजहोम्स द्वारा सरकारी सीमांकन के अनुसार नाला निर्माण करेंगे क्योंकि नाले के एक तरफ दिशा दक्षिण में ह्रिदेश किरार की भूमि के दूसरी ओर दिशा उत्तर में राजहोम्स की भूमि है सरकारी नाला पक्का बनाया जावेगा साथ ही ह्रिदेश किरार की खोदी गई जमीन को मिट्टी से भरकर समतल कर दी जावेगी।

RAJ HOMES PVT. LTD.

...2.

..2..

4) यह कि राजीनामा में सहमति से उल्लेखित कार्य द्वितीय पक्षकार के द्वारा कर देने पर ही यह राजीनामा मान्य होगा। राजीनामा के अनुसार जो कार्य द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जायेगा, तथा नाले कि स्थिति राजस्व नक्शे के अनुसार निर्माण किया जावेगा कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राजीनामा के साथ नक्शा संलग्न है, जिंसमें दोनों पक्षकारों की भूमि दर्शाई गई है, तथा नाला एवं छोड़ी गई भूमि की स्थिति दर्शाई गई है, जो दोनों पक्षकारों की सहमति से किया गया है।

5) यह कि राजीनामा के अनुसार मौके पर नाले का निर्माण एवं प्रथम पक्षकार की दीवार की तरफ खोदे गये नाले को समतल करने के बाद ही न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को समाप्त किया जावेगा।

6) यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा सिविल कोर्ट में दायर केस तथा एनजीटी में दायर केस क्र. OA695/2019 को समाप्त करवाया जायेगा तथा उनमें किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसी तरह प्रथम पक्षकार द्वारा कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, नगर निगम भोपाल तथा अन्य कार्यालयों में नाले के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत की गयी है तो उसे वापिस लिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध नही की जायेगी।

7) यह कि उक्त राजीनामा से प्रथम पक्षकार हिदेश किरार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नाले के संबंध में जो शिकायत की गयी थी उसका भी निराकरण हो जायेगा, अतः उक्त शिकायत क्र. OA695/2019 को वापिस लेने के लिये जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह प्रथम पक्षकार द्वारा की जायेगी।

8) यह कि उक्त राजीनामा जिन शर्तों के अनुसार हुआ है, उसका अनुकरण द्वितीय पक्षकार तथा प्रथम पक्षकार को करना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा राजीनामें के अनुसार भूमि का कब्जा प्रथम पक्षकार को सौंपेगा, तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार की भूमि के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्से में पक्के नाले का निर्माण कर समुचित निकासी का प्रबंध कर, खोदी गई भूमि को भरकर समतल किया जायेगा।

उपरोक्त राजीनामा को उभय पक्ष सोच समझकर पढ़ लिया है। उभय पक्ष राजीनामें की समस्त शर्ते पालन करने को राजी है और उन शर्तों को भविष्य में भी ध्यान रखेंगे। उभय पक्षों के बीच राजीनामा हसी-खुशी से दोनों पक्षों की सहमति से तैयार किया है। जो वक्त जरुरत पर काम आवे। भविष्य में उभय पक्ष राजीनामा की शर्तों का पालन करेंगे। इति

दिनांक- 8/03/2021.

गवाहः-

1. Teekaram Verma
S/o Mr. Gyan Singh
Gram Kulash Kalan.

2. Rampal Raghuwanshi
(Raj Homes)
F-1, New Mina
Residency

हस्ताक्षर
प्रथम पक्षकार

Authorised Signatory

हस्ताक्षर
द्वितीय पक्षकार

ATTESTED
GHULAM NIZAMUDDIN
ANW... SIDDIQUI

...TIFIED BY ME

(2)

// शपथ–पत्र //

मेसर्स राज होम्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री संजय मेहता आत्मज श्री जी0एल0मेहता पता 21,जोन–2,एम0पी0नगर,भोपाल शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

01) यह कि हमारी कम्पनी राज होम्स प्रा0लि0 की ग्राम कोलुआ कॅला में भूमि है जिस पर कॉलोनी का विकास कार्य चल रहा है। उक्त भूमि के खसरा कं0 111, 192/111, 198/82/1 आदि है। उक्त भूमि से लगकर हृद्वेश किरार की भूमि है जिसका खसरा कं0 77/2 है।

02) यह कि हमारी भूमि तथा हृद्वेश किरार की भूमि के मध्य एक नाला जा रहा है। उक्त नाले के संबंध में कई वर्षो से हृद्वेश किरार के साथ विवाद चल रहा था।

03) यह कि उक्त विवाद निराकरण के लिये हमारी कंपनी तथा हृद्वेश किरार के बीच राजीनामा निष्पादित हो गया है। उक्त राजीनामा की शर्तो के अनुसार स्थल नाले का गहरीकरण चेनलाइजेशन इत्यादि का कार्य जारी है। उक्त राजीनामे अनुसार हृद्वेश किरार की पूर्वी तरफ वर्तमान बाउण्ड्री से 30 फीट छोड़कर नाले का निर्माण किया जायेगा। 30 फीट तक की भूमि का कब्जा हृद्वेश किरार को दिया जायेगा। इसी तरह उत्तरी तरफ भी राजस्व नाले के अनुसार नाले का निर्माण किया जा रहा है।

04) यह कि हमारे द्वारा राजीनामे की शर्तो का पूर्णतयाः पालन किया जायेगा। हृद्वेश किरार द्वारा सभी विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों को वापिस किया जायेगा।

05) यह कि उक्त शपथ–पत्र राजीनामें की शर्तो के पालन के संबंध में निष्पादित किया जा रहा है।

PVT. LTD.

Authorised Signatory

शपथग्रहिता

// सत्यापन //

मेसर्स राज होम्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री संजय मेहता आत्मज श्री जी0एल0मेहता पता 21,जोन–2,एम0पी0नगर,भोपाल यह सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ–पत्र की कंडिका 01 से 05 में दिये गये तथ्य ओर कथन मेरी जानकारी में सही है।

उक्त शपथ–पत्र आज दिनांक 06/03/2021 को भोपाल में निष्पादित किया गया।

IDENTIFIED BY ME
Name...
Address... 21, Zone-II
Signature...

SWORN BEFORE ME
THE WITHIN NAMED
6/3/21

ANIL KUMAR SONI
NOTARY-ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

PVT. LTD.

Authorised Signatory

शपथग्रहिता

//शपथ पत्र//

मैं ह्वदेश किरार आत्मज श्री एन.के. किरार आयु वयस्क निवासी-मकान न0-01,बिंदिया हाउस ग्राम कोलुआकलां,तहसील हुजूर,वार्ड न.-74,जिला-भोपाल शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि मेरी भूमि खसरा कमांक-77/2 कोलुआकलॉ रकबा 0.93 एकड़ का भू-स्वामी है। उक्त भूमि पर स्वयं के निवास हेतु मकान का निमार्ण किया है मेरी भूमि के पूर्वी तथा उत्तर की ओर राज होम्स की भूमि है। के मध्य एक नाला विद्यमान है। मेरे द्वारा अपनी भूमि का दिनांक-18.06.2015 को राजस्व विभाग से सीमांकन करवाया था उक्त सीमांकन के अनुसार मेरी 0.09 एकड़ भूमि एवं नाले पर राज होम्स के कब्जे में थी का विवाद चल रहा है, इस विवाद के संबंध में मेरे द्वारा सिविल कोर्ट, नेशनल ग्रीनट्रिब्यूनल, प्रदूषण निवारण मंडल तथा अन्य न्यायालय में मुकदमें अथवा शिकायत दर्ज कराई गई है।

2. यह कि उक्त विवाद के निराकरण हेतु माननीय न्यायलय तहसीलदार गौविंदपुरा के एक राजीनामा मय स्टाम्प नोटरी के मेरे और राज होम्स के श्री संजय मेहता के मध्य मय नक्शा का पेश किया गया हैं।

3. यह कि उक्त राजीनामा की शर्तो के आधार पर राज होम्स के श्री संजय मेहता द्वारा सहमति देते हुए मेरी दीवार से 30 फिट पूर्व में तथा उत्तर में 24 फिट मेरी भूमि छोडकर राजस्व नाले का निर्माण किया जावेगा साथ ही समुचित निकासी का प्रबंध कर, खोदी गई मेरी भूमि को भरकर समतल किया जायेगा। उक्त राजीनामा जिन शर्तो के अनुसार हुआ है, उसका अनुकरण राज होम्स के श्री संजय मेहता को करना होगा।

4. यह कि राजीनामा में सहमति से उल्लेखित कार्य राज होम्स के श्री संजय मेहता के द्वारा कर देने पर ही यह राजीनामा मान्य होगा। कार्य पूर्ण होने पर मेरे द्वारा सभी विचारधीन प्रकरणों को वापिस लिया जावेगा।

5- यह कि उक्त शपथ-पत्र राजीनामें की शर्तो के पालन के संबंध में निष्पादित किया गया है।

शपथग्रहिता

//सत्यापन//

मैं ह्वदेश किरार आत्मज श्री एन.के. किरार आयु वयस्क निवासी-मकान न0-01, बिंदिया हाउस ग्राम कोलुआकलां,तहसील हुजूर, वार्ड न0-74,जिला भोपाल यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका क्रं. 01 से 05 में दिये गये तथ्य और कथन मेरी जानकारी में सही है।

उक्त शपथ पत्र आज दिनॉक 16.03.2021 को भोपाल में निष्पादित किया गया।

शपथग्रहिता

SWORN BEFORE ME

16/03/2021

SANJAY PALIWAL
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL (M.P.) INDIA

IDENTIFIED BY ME

Name: Teekaram

Address: 146 MP Nagar

Signature:

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

कमांक 238/ री.अ.वि.अ / 2021 भोपाल दिनांक 17/03/2021

प्रति,

क्षेत्रिय प्रंबधक,
पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
मध्यप्रदेश,

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण कमांक 695 / 2019 दिनांक 06.10.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में।

––00––

विषयांतर्गत लेख हैं कि तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दुरा भोपाल एवं राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा पंचनामा प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि आज दिनांक 16.03.2021 को एन.जी.टी के द्वारा दिये गये निर्देश एवं पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व रिर्पोट के परिप्रेक्ष्य में मौके का निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दपुरा, राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश पटेल एवं राजस्व निरीक्षक श्री राधेश्याम बघेल एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से श्री सलमान खान उपयंत्री एवं आर्दश मालवीय सहायक यंत्री एवं नगर निगम कीओर से अतिकमण प्रभारी श्री नासिर खान एवं श्री अनिल टटवारे एक्जीवूटिव इंजीनियर एवं जफर सोहेल सहायक यंत्री शिकायकर्ता श्री हिरदेश किरार एवं राजहोम्स की तरफ से श्री संजय मेहता डायरेक्टर एवं राकेश भावसार साईड इंजार्च के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

1 शिकायतकर्ता श्री हिरदेश किरार द्वारा दिनांक 13.06.2019 को अध्यक्ष महोदय एन.जी.टी के समक्ष ग्राम कोलुआकलां के अंतर्गत राजहोम्स द्वारा शासकीय नाले पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर दिया गया हैं। जिससे मेरे घर में सीवेज की गंदगी आ रही हैं। जिसमें गंभीर बीमारी हो सकती हैं। जिनके संबध में माननीय एन.जी.टी द्वारा necessary action लेने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर निगम भोपाल को संयुक्त रूप से निर्देश दिये गए तथा नालें पर रिमेडिमल मेजरस लिए जाने के निर्देश थे।

2 मौके पर संयुक्त कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता श्री हिरदेश किरार एवं राज होम्स के डायरेक्टर संजय मेहता द्वारा आपसी राजीनामा (प्रदर्श–A) प्रस्तुत किया गया। जिसमें कंडिका कमांक 1 से लेकर 8 तक बिन्दुओं पर आपसी सहमति लेकर राजीनामा तैयार किया गया हैं। जो संलग्न पंचनामा हैं साथ ही उभय पक्षों द्वारा राजीनामा के समर्थन में विवाद समाप्त करने हेतु शपथ–पत्र (प्रदर्श–B) एवं (प्रदर्श–C) प्रस्तुत किया गया हैं जो संलग्न पंचनामा हैं।

3 मौके पर नाले का एवं मौके की स्थिति का संयुक्त निरीक्षण पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, नगर निगम दल एवं राजस्व दल, शिकायतकर्ता एवं अनावेदक के साथ किया गया एवं मौके पर पाया गया कि म.न डी–538 के पास से पूर्व में जो नाला 5 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा था उसे वर्तमान में 12 फीट गहरा एवं 20 फीट चौड़ा कर दिया गया हैं जो कि 20 फीट चौडाई का नाला श्री हिरदेश किरार जो के घर के पास तक आ गया हैं। श्री किरार जी के घर के पास मुख्य विवाद बिन्दु पर नाले की चौडाई वर्तमान में 30 फिट चौड़ाई कर दी गई हैं एवं गहराई 15 फीट रखी गई हैं। जिसके साथ ही उस जगह पर एक और नाला जो कोलुआकलां ग्राम से आ रहा है जहॉ पर नाला मिलेगा जो कि 35 फिट चौड़ा (दक्षिण से उत्तर) रहेगा। उपरोक्त नाले का निर्माण मकान को छोड़कर 30 फीट नाला निर्माण हो रहा हैं। जिससे श्री किरार जी को 30 गुणा 128=3480 वर्गफिट भूमि को प्राप्त हो रही हैं उसी प्रकार उत्तर दिशा में दीवार से नाले तक 24 फीट जगह पूर्व से पश्चिम तक प्राप्त हुई। उसके बाद नाले का निर्माण किया जा रहा हैं। इस प्रकार श्री किरार जी की 24 गुणा 350=8400 वर्गफिट भूमि प्राप्त हो रही हैं। राजहोम्स द्वारा पानी निकासी हेतु समुचित निकास की व्यवस्था की जावेंगी। उपरोक्त की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता श्री हिरदेश किरार जी पूर्णतः संतुष्ट पाये गये। नगर निगम एवं पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उपरोक्त की गई कार्यवाही से संतुष्ट रहें।

4 राजहोम्स की तरफ से संजय मेहता जी द्वारा बताया गया कि उन्होने नाले को इस तरह चैनेलाईस कर लिया हैं जिससे कि नाले की गंदगी कोलुआ गांव में श्री किरार जी के घर में नहीं आयेगी और भारी वर्षा की स्थिति में भी जो पानी हैं वह आमजन को प्रभावित किये बिना निकल जायेगा पानी में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

5 नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि नाले में जो रिमेडियल मेजरस लिए गए हैं उससे उक्त कार्यवाही पूर्ण हो रही हैं और अब बारिश का पानी श्री किरार जी के घर में भरने या कोलुआ ग्राम में जाने की संभावना नहीं हैं।

6 श्री हिरदेश किरार द्वारा यह भी बताया गया कि श्री संजय मेहता एवं राजहोम्स से जो शिकायत की उसे मौके पर रिमेडियल में जिसके तहत सही कर लिया गया हैं अब उनकी राजहोम्स से कोई शिकायत नहीं हैं।

7 पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था एवं निरीक्षण से संतुष्टि प्रदान की गई सीवेज लाईन के संबध में राजहोम्स द्वारा वर्तमान में नाले सीवेज छोड़ा जा रहा हैं उस हेतु राजहोम्स के डायरेक्टर संजय मेहता जी द्वारा बताया गया हैं कि सीवेज की निकासी हेतु जन भागीदारी के तहत नगर निगम में 50 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई हैं शेष राशि जमा कर दी गई हैं शेष राशि नगर निगम द्वारा व्यवस्था की जावेंगी। जिस संबध में राजहोम्स डायरेक्टर द्वारा जमा की गई राशि की छायाप्रति (प्रदर्श–D) एवं शपथ पत्र (प्रदर्श–E) प्रस्तुत किया हैं उपरोक्त की गई कार्यवाही से पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा संतुष्टि जताई गई।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण पंचनामा समस्त विभाग के अधिकारियों के समक्ष तैयार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही/राजीनामा/शपथ–पत्र से शिकायतकर्ता एवं अनावेदक राजहोम्स द्वारा पूर्ण सहमति व्यक्त की गई एवं संबधित विभागों द्वारा भी की गई कार्यवाही से पूर्ण सहमति व्यक्त की गई पंचनामा मौके पर तैयार किया गया पढ़ कर सुनाया गया उपस्थित जनों के हस्ताक्षर लिये गये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
सहायक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
वि. स. निर्वा. क्षेत्र-151 नरेला
भोपाल, दिनांक / 03 /2021

कमांक /री.अ.वि.अ/2021
प्रतिलिपिः–
1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
सहायक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
वि. स. निर्वा. क्षेत्र-151 नरेला

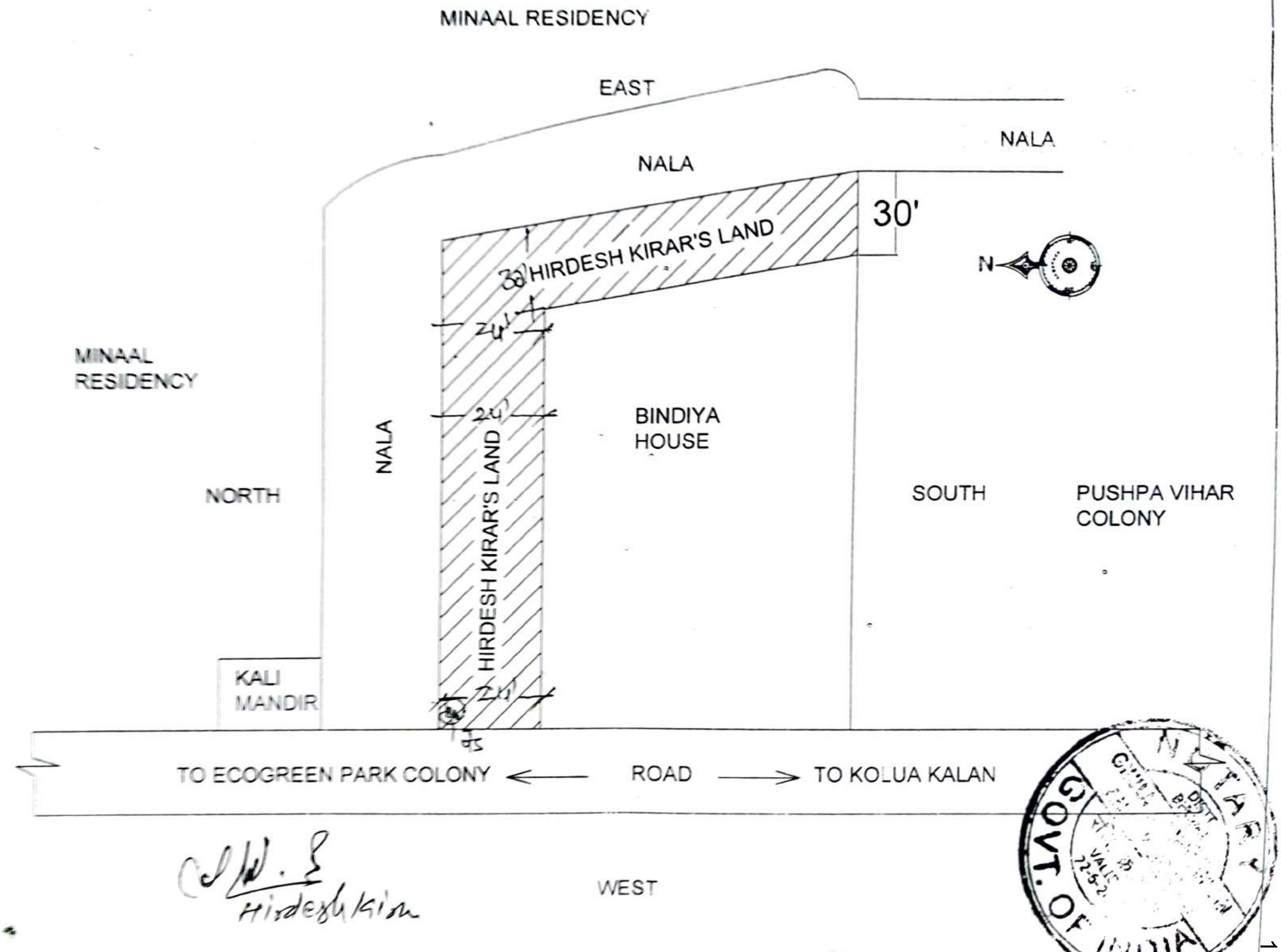
MINAAL RESIDENCY
EAST
NALA
NALA
30'
HIRDESH KIRAR'S LAND
N
MINAAL RESIDENCY
NALA
HIRDESH KIRAR'S LAND
BINDIYA HOUSE
NORTH
SOUTH
PUSHPA VIHAR COLONY
KALI MANDIR
TO ECOGREEN PARK COLONY
ROAD
TO KOLUA KALAN
WEST
Hirdesh Kirar
GOVT. OF INDIA

LAYOUT PLAN

Ann-7

RAJ HOMES

भोपाल, दिनाँक 4 फरवरी, 2021

श्रीमान् अधिक्षण यंत्री (सीवेज)
सीवेज शाखा,
नगर पालिका निगम,
भोपाल (म0प्र0)

विषयः जन भागीदारी के अन्तर्गत मिनाल रेसीडेन्सी से दामखेड़ा स्थित नगर निगम के सीवेज पम्प हाउस को जोड़ने बावत्।
संदर्भः हमारे पूर्व पत्र क्रमांक 29/01/2021 तथा दिनाँक 11/12/2020 गोविन्दपुरा विधायक के निवास पर हुयी बैठक के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिनाल रेसीडेन्सी कॉलोनी. से दामखेड़ा स्थित नगर निगम के सीवेज पम्प हाउस तक जनभागीदारी के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा सीवेज लाईन एवं मैनहोल बिछाने का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित प्राकल्लन के 50 प्रतिशत राशि 21.75 लाख रूपये में से विधायक निधि के 5.00 लाख रूपये घटाकर 15.(16.) 75 लाख रूपये का भुगतान किया जाना है। उक्त 15.75 लाख रूपये के चैक इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1) रूपये 5,75,000/- द्वारा चैक क्रमांक 003319, दिनाँक 08/02/2021 आईसीआईसीआई बैंक, न्यू मार्केट शाखा के द्वारा।
2) रूपये 5,00,000/- द्वारा चैक क्रमांक 003320, दिनाँक 26/02/2021 आईसीआईसीआई बैंक, न्यू मार्केट शाखा के द्वारा।
3) रूपये 5,00,000/- द्वारा चैक क्रमांक 003321, दिनाँक 26/02/2021 आईसीआईसीआई बैंक, न्यू मार्केट शाखा के द्वारा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त कार्य की निविदा निकालकर निमार्ण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

द्वारा राज होम्स प्रा0लि0

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

8/2/21

स्थल पंचनामा

आज दिनांक 16/03/2021 को श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेशानुसार NGT के निर्देश एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के पूर्व रिपोर्ट के परिपेक्ष मे मौके का निरीक्षण करने हेतु श्री मान तहसीलदार महोदय श्री मनोज श्रीवास्तव महोदय, राजस्व निरीक्षक महोदय श्री जगदीश पटेल एवं राजस्व निरीक्षक महोदय श्री राधेश्याम तखेला हल्का पटवारी आशीष मिश्रा एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से श्री सलमान खान उपयंत्री एवं मुदिता मालवीय सहायक यंत्री एवं नगर निगम की ओर से अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर खान एवं श्री अनिल टटवार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं जफर सोहेल सहायक यंत्री शिकायत कर्ता श्री हृदेश किरार एवं राजहोम्स की तरफ से श्री संजय मेहता डायरेक्टर एवं राकेश भावसार साइड इन्चार्ज के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया

(1) शिकायत कर्ता श्री हृदेश किरार द्वारा दिनांक - 13/06/2019 को अध्यक्ष महोदय NGT के समक्ष ग्राम कोलुआ की प०ह०नं० 21 वार्ड नं. 74 के अन्तर्गत राज होम्स द्वारा शासकीय नाले पर बाउन्ड्री वाल का निर्माण कर दिया गया है जिससे मेरे घर मे सीवेज की गंदगी आ रही है जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है जिसके संबंध मे माननीय NGT द्वारा to necessary action होने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर निगम भोपाल को संयुक्त रूप से निर्देश दिये गए तथा नाले पर रिमेडियल मेजरस लिए जाने के निर्देश थे

(2) मौके पर संयुक्त कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता श्री हृदेश किरार एवं राज होम्स के डायरेक्टर संजय मेहता द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके कंडिका क्रमांक 1 से लेकर 8 तक बिन्दुओं पर आपसी सहमती लेकर राजीनामा तैयार किया गया है जो संलग्न पंचनामा है साथ ही उभय पक्षो द्वारा राजीनामा के समर्थन में विवाद समाप्त करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न पंचनामा है

(3) मौके पर नाले का एवं मौके की स्थिति का संयुक्त निरीक्षण पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, नगर निगम दल एवं राजस्व दल शिकायतकर्ता एवं अनावेदक के साथ किया

Rakesh Bhawsar

A.E. MPPCB

S.E. MPPCB

EE. अतिक्रमण शाखा

N.N 16/3/21

16/3/21

16/3/21 (Raj homes)

गया एवं मौके पर पाया गया कि म.न. D-538 के पास से पूर्व में जो नाला 5 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा था उसे वर्तमान में 12 फीट गहरा एवं 20 फीट चौड़ा कर दिया गया है जो कि 20 फीट चौड़ाई का नाला श्री हृदेश किरार जी के घर के पास तक आ गया है श्री किरार जी के घर के पास मुख्य विवाद बिन्दु पर नाले की चौड़ाई वर्तमान में 30 फीट चौड़ाई कर दी गई है एवं गहराई 18 फीट रखी गई है जिसके साथ ही इस जगह पर एक और नाला जो कोलुआँ ग्राम से आ रहा है जहाँ पर नाला मिलेगा जो कि 35 फीट चौड़ा (दक्षिण से उत्तर) रहेगा उपरोक्त नाले का निर्माण मकान को छोड़कर 30 फीट नाला निर्माण हो रहा है जिससे श्री किरार जी को 30 × 128 = 3840 वर्गफुट भूमि की प्राप्त हो रही है उसी प्रकार उत्तर दिशा में दीवार से नाले तक 24 फीट जगह पूर्व से पश्चिम तक प्राप्त हुई इसके बाद नाले का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार श्री किरारजी को 24 × 350 = 8400 वर्गफुट भूमि प्राप्त हो रही है राज-होम्स द्वारा पानी निकासी हेतु समुचित निकास की व्यवस्था की जावेगी उपरोक्त की गई कार्यवाही से शिकायत कर्ता श्री हृदेश किरार जी पूर्णतः संतुष्ट पाये गये. नगर निगम एवं पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड उपरोक्त की गई कार्यवाही से संतुष्ट रहे।

(4) राज होम्स की तरफ से संजय मेहता जी द्वारा बताया गया कि उन्होंने ने नाले को इस तरह चैनलाइज कर लिया है कि जिससे कि नाले की गंदगी कोलुआ गाँव में या श्री किरार जी के घर में नहीं आयेगी और भारी वर्षा की स्थिति में भी जो पानी है ग्राम जल को प्रभावित किये बिना निकल जायेगा पानी में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

(5) नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि नाले में जो रिमेडियल मेजरस लिए गए हैं इससे उक्त कार्यवाही पूर्ण हो रही है और अब बारिश का पानी श्री किरार जी के घर में भरने या कोलुआँ ग्राम में जाने की समस्या नहीं है

(6) श्री हृदेश किरार द्वारा यह भी बताया गया कि श्री संजय मेहता एवं राज होम्स से जो शिकायत थी -

16/3/21 (Raj homes) Rakesh Bhanu
(A.E.) MPPCB
(S/E) MPPCB
EG
16/3/21
N.N
S.E 16/3/021
16/3/21

नजूल ...

23

उसे मौके पर रिमीडियल में जिसके तहत सहटी कर लिया गया है अब उनकी राज होम्स से कोई शिकायत नहीं है

(7) श्री प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था एवं निरीक्षण से संतुष्टि प्रदान की गई सीवेज लाइन के संबंध में राज होम्स द्वारा वर्तमान में नाले में सीवेज छोड़ा जा रहा है उस हेतु राज होम्स के डायरेक्टर संजय मेहता जी द्वारा बताया गया कि सीवेज की निकासी हेतु जन भागीदारी के तहत नगर निगम में 50% राशि जमा कर दी गई है शेष राशि नगर निगम द्वारा व्यवस्था की जायेगी जिसके टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में है जिसे धामखेड़ा पंप हाउस के श्री महोली धामखेड़ा सीवेज ट्रिटमेंट प्लान्ट से जोड़ा जायेगा जिस संबंध में राज होम्स डायरेक्टर द्वारा जमा की गई राशि की छाया प्रति एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है. उपरोक्त की गई कार्यवाही से पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा संतुष्टि जताई गई।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण पंचनामा समस्त विभाग के अधिकारियों के समक्ष तैयार किया गया उपरोक्त कार्यवाही/ राजीनामा/ शपथ पत्र से शिकायतकर्ता एवं अनावेदक राज होम्स द्वारा पूर्ण सहमति व्यक्त की गई एवं संबंधित विभागों द्वारा भी की गई कार्यवाही से पूर्ण सहमति व्यक्त की गई पंचनामा मौके पर तैयार किया गया पढ़ कर सुनाया गया उपस्थित जनों के हस्ताक्षर लिये गये।

(Signatures:) S.E 16/3/021; EE ... ; Awdhesh (A.E.) MPPCB; (S.O.) MPPCB; 16/3/21; AE 16/3/21; ... 16/03/2021; 16/3/21; 16/3/21 (Raj Homes); Rakesh Bhawsar; ...

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 16
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

Outward No. 416 **RO /PCB/BPL/2019/NGT-695 Bhopal, Dated** 18/01/**2021**

To,

Legal Officer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal (M.P.)

Sub: O.A. No. 695/2019 Hardesh Kirar V/s State of Madhya Pradesh.

Ref: Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi order dated 06.10.2020

With reference to the above case Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi by order dated 06.10.2020 directed, "Let further step be completed by the District Administration and the Nagar Nigam and report filed by State PCB on behalf the joint committee. As done earlier by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF"

As per direction, Sub Divisional Magistrate (SDM- Revenue) Govindpura, Bhopal - Shri Manoj Verma, Encroachment In-charge, Nagar Nigam Bhopal - Shri Nasir Khan & Executive Engineer MPPCB Bhopal - Shri A.K. Bisen jointly inspected the site on date 12.01.2021 mentioned in the order dated 06.10.2020. The factual status is enclosed here with for necessary action please.

Encl: As above (Total Page- 11)

(Brajesh Sharma)
Regional Officer

Outward No. RO /PCB/BPL/2019/NGT-695 Bhopal, Dated / /2021

Copy to:-

1. District Collector, Bhopal for information & necessary action please.
2. Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal for information & necessary action please.
3. Member Secretary. M.P. Pollution Control Board, for information please.
4. Advocate Smt. Parul Bhadoria M.P. Pollution Control Board, for information please.

(Brajesh Sharma)
Regional Officer

Status Report

Subject :- Order passed by Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi on dated 06.10.2020 in case OA no. 695/2019 Hardesh Kirar V/s State of Madhya Pradesh.

With reference to the above case Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi by order dated 06.10.2020 directed, "Let further step be completed by the District Administration and the Nagar Nigam and report filed by State PCB on behalf the joint committee. As done earlier by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF'

As per direction, Sub Divisional Magistrate (SDM- Revenue) Govindpura, Bhopal - Shri Manoj Verma, Encroachment In-charge, Nagar Nigam Bhopal - Shri Nasir Khan & Executive Engineer MPPCB Bhopal - Shri A.K. Bisen jointly inspected the site on date 12.01.2021 mentioned in the order dated 06.10.2020. The factual status is submitted hereby as follows–

1. Since this is case of Nalla Encroachment so MPPCB directed vide letter dated 14.10.2020, 06.11.2020, 02.12.2020 & 02.01.2021 to the District Administration & Nagar Nigam Bhopal to take necessary action in this case.
2. In compliance SDM Govindpura, Bhopal called the Committee Members for site inspection on date 12.01.2021. During inspection Shri Sanjay Mehta, Director, Raj Homes Pvt. Ltd., Bhopal, Complainant Shri Hirdesh Kirar, Tehsildar & Revenue Inspector Govindpura, Bhopal & Rakesh Bhavsar, Engineer, Raj Homes representative were also present. Photographs of site inspection as per **Annexure 1.**
3. SDM/Tehsildar informed that demarcation of complaint site has been done in presence of Nagar Nigam Bhopal representative on 07/08/2020 and provided demarcation report as per **Annexure 2.**
4. During discussion complainant Shri Hirdesh Kirar informed that Raj Homes has constructed Kachcha nalla on his land, in reply the representative of Raj Homes Shri Rajesh Bhavsar informed that said Kachcha nalla has been constructed as per approved map. On site a nalla of breadth about 15 feet, depth 10 feet & length about 400 feet was observed, due to land dispute SDM has called both sides with their documents on date 18.01.2021 (Monday), so that after verification land issue could be resolved.
   Panchnama prepared as per **Annexure 3.**
5. After clarification related to land dispute necessary corrective action will be taken by District Administration and Nagar Nigam Bhopal jointly.

This status report is submitted for information and suitable action please.

Enclosure :- As stated above.

(A.K. Bisen) Executive Engineer RO,MPPCB,Bhopal Mob. No. 98272792723 E-Mail – romppcb_bpl@rediffmail.com	15/01/2 (Nasir Khan) Encroachment Incharge Nagar Nigam, Bhopal Mob.No.	15/1/20 (Manoj Verma) SDM (Revenue) Govindpura,Bhopal Mob.No. 9893091290

Annexure - I

Joint Committee Inspection on the matter of NGT O.A. 695/2019 order dated 06.10.2020

Inspection date. 12.01.2021

Annexure - I

Kachcha Nalla constructed opposite to Shri Hirdesh Kirar's (complainant) house

Annexure - 2

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

।।अपर आयुक्त कक्ष।।

1313 — 1315

क्रमांक......./अ.आ.क./2020 भोपाल,दिनांक.10./08/2020

प्रति,

एस.डी.एम.
गोंविदपुरा, भोपाल

विषय– नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भ–
1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रं.1491/क्षेका/प्रनिबो/एनजीटी –152, भोपाल दिनांक 25/06/2020।
3. आपका पत्र क्रं. 1629/री.अ.वि.अ.न.गो./2020 भोपाल दिनांक 07/08/2020।

––00––

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन मे दिनांक 18/05/2020 के संबंध में लेख है कि दिनांक 07/08/2020 को श्री जगदीश पटेल (राजस्व निरीक्षक) एवं नीरज विश्वकर्मा के द्वारा स्थल पर सीमांकन का कार्य पूर्ण किया गया है एवं सरकारी नाले का गूगल मैप भी उपलब्ध कराया गया है, जो आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त गूगल मैप को सत्यापित कर या कोई अन्य मैप जो इस नाले से संबंधित हो की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।

प्राप्त 11/8/2020
आवक
गोविन्दपुरा वृत्त
भोपाल

(आर.पी. मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

क्रमांक......./अ.आ.क./2020 भोपाल,दिनांक10./08/2020

प्रतिलिपि–
1. आयुक्त महोदय की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. नगर निवेषक, भवन अनुज्ञा शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा,
भोपाल

विषय:- शासकीय नाले पर पूर्व सीमांकन के आधार पर पुनः सीमा बतलाने बावत

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि आदेश के पालन में ग्राम-कोलुआ कलां का शासकीय नाला जिसका पूर्व में दिनांक 23/6/17 को सीमांकन हुआ था पुनः दिनांक 07/08/2020 को हल्का पटवारी के साथ नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर, सहायक यंत्री श्री अनिल टटवाड़े, वार्ड दरोगा 65 एवं अन्य पंचगणों के समक्ष चिन्हांकन किया गया।

मौके पर नगर निगम के अमले द्वारा चूना डालकर पत्थर लगाये गये।

वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय पंचनामा सादर प्रस्तुत।

(हस्ताक्षर)
R.I.
दि 10/08/2020

मौका पंचनामा

हम पंचगण आज दिनांक 07/08/2020 को ग्राम [illegible] में उपस्थित होकर यह तस्दीक करते हैं कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा के आदेश के पालन में [illegible] रेलवे [illegible] के भीतर स्थित शासकीय नाला जिसका पूर्व में सीमांकन किया गया था उसका आज पुनः नगर निगम के द्वारा बतलाया गया जिस पर उनके द्वारा चूना डालकर पत्थर लगाए गए। उक्त कार्यवाही के समय नगर निगम से अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर, सहायक यांत्रिकी श्री अनिल टटवाड़े, वार्ड दारोगा 85, राजस्व विभाग से श्री जगदीश पटेल, नीरज विश्वकर्मा पटवारी एवं पंचगण उपस्थित रहे।

पंचनामा मौका पर लिखा सुना गया तदोपरांत हस्ताक्षर किए जो सनद रहे।

Vishwakarma
पटवारी
07/08/2020

RI
07/08/2020

7/8/2020 अनिल टटवाड़े

R S Singh
Rama Shanker Singh
8839155150

7/8/2020 नासिर

P.R. Vishwakarma
S.D.O.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

क्रमांक 1629 / री.अ.वि.अ. न.गो. / 2020 भोपाल दिनांक 07 / 08 / 2020

प्रति,

श्री आर.पी मिश्रा,
अपर आयुक्त,
नगर पालिक निगम भोपाल,

विषयः- नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपाल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए.न 695 / 2019 हिरदेश किरार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भः- आपका पत्र कमांक 1224 / अ.आ.क / 2020 भोपाल दिनांक 29.07.2020।

---00---

विषयांतर्गत लेख हैं कि नाले पर अतिकमण किये जाने के संबध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए नं 695 / 2019 हिरदेश किरार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के संबध में जानकारी चाही गई हैं।

उक्त संबध में क्षेत्रिय राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रिय राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि ग्राम कोलुआकलां का शासकीय नाला जिसका पूर्व में दिनांक 23.06.2019 को सीमांकन हुआ था पुनः दिनांक 07.03.2020 को हल्का पटवारी के साथ नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर, सहायक यांत्रिकी श्री अनिल टटवाड़े, वार्ड दरोगा 65 एवं अन्य पंचगणों के समक्ष चिन्हांकन किया गया। मौके पर नगर निगम के अमले द्वारा चूना डालकर पत्थर लगाये गये।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

प्र.कार्यपालन यंत्री
आते.

10/8/2020

आयुक्त
क्र. 1306
10/8/2020

कार्यालय कलेक्टर,भोपाल

शाखा का नाम — तहसीलदार नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
प्रभारी अधिकारी का नाम — श्री मनोज श्रीवास्तव (तहसीलदार)
शाखा लिपिका का नाम — श्री नीरज सिंह चौहान (सहायक वर्ग-3)

विषय :— नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए नं 695 / 2019 हिरदेश किरार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भ:— कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल का पत्र कमांक 1224 / अ.आ.क / 2020 भोपाल दिनांक 29.07.2020।

विषयांतर्गत लेख है कि नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए नं 695 / 2019 हिरदेश किरार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के संबध में जानकारी चाही गई है।

उक्त संबध में क्षेत्रिय राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रिय राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि ग्राम कोलुआकलां का शासकीय नाला जिसका पूर्व में दिनांक 23.06.2019 को सीमांकन हुआ था पुनः दिनांक 07.03.2020 को हल्का पटवारी के साथ नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर, सहायक यांत्रिकी श्री अनिल टटवाड़े, वार्ड दरोगा 65 एवं अन्य पंचगणों के समक्ष चिन्हांकन किया गया। मौके पर नगर निगम के अमले द्वारा चूना डालकर पत्थर लगाये गये।

अतः उपरोक्त जानकारी पत्र प्रारूप में तैयार कर अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षार्थ महोदय की ओर सादर प्रेषित हैं।

7/8/20

तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

अ.वि.अ महोदय

7/8/2020

1629
07/8/20

80
78
81
79
77
76
198/82
82
111
N

111
82
198/82
77
76
79
78
81
80

Shri Narsir

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

क्रमांक 1622 /री.तह.न.गो. / 2020 भोपाल दिनांक 04 / 08 / 2020

प्रति,

श्री आर.पी मिश्रा,
अपर आयुक्त,
नगर पालिक निगम भोपाल,

श्री अनिल रखवाड़े

6/8/2020
अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषयः— नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपाल बेंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कमांक ओ.ए.न 695 / 2019 हिरदेश किरार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक 1224 / अ.आ.क / 2020 भोपाल दिनांक 29.07.2020 ।

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में आपके द्वारा माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं, प्रकरण नाले पर अतिक्रमण किये जाने से संबधित हैं। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा नाले का सीमांकन किया जाना हैं, तत्पश्चात् ही प्रकरण का निराकरण किया जाना संभव हो पायेगा। अतः राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाले का सीमांकन रिर्पोट नगर निगम द्वारा कार्यवाही करने हेतु आवश्यक हैं। उक्त कार्यवाही पश्चात् ही माननीय अधिकरण के आदेश का पालन हो सकेगा।

उक्त संबध में लेख हैं कि राजस्व प्रकरण कमांक 28 / अ–12 / 19–20 आदेश दिनाक 30.08.2019 के द्वारा प्रश्नाधीन नाले का सीमांकन किया गया हैं। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

7/8/20

आयुक्त
क्र. 1279
दि. 6/8/20
नगर निगम भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
।।अपर आयुक्त कक्ष।।

क्रमांक......./अ.आ.क./2020 भोपाल,दिनांक......./..../2020

प्रति,

एस.डी.एम.
गोविंदपुरा, भोपाल

विषय– नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भ– 1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्र.1491/क्षेका/प्रनिबो/एनजीटी –152, भोपाल दिनांक 25/06/2020।

---00---

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन मे दिनांक 18/05/2020 पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है, प्रकरण नाले पर अतिक्रमण किये जाने से संबंधित है। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा नाले का सीमांकन किया जाना है, तत्पश्चात ही प्रकरण का निराकरण किया जाना संभव हो पायेगा।

अतः निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाले का सीमांकन रिर्पोट नगर निगम द्वारा कार्यवाही करने हेतु आवश्यक है, उक्त कार्यवाही पश्चात ही माननीय अधिकरण के आदेश का पालन हो सकेगा।

(आर.पी. मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

क्रमांक 1224 8027/अ.आ.क./2020 भोपाल,दिनांक 29/07/2020
प्रतिलिपि–
1. आयुक्त महोदय की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. नगर निवेषक, भवन अनुज्ञा शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. संयुक्त संचालक, सचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर प्रकरण के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

Annexure - 3

पंचनामा।

स्थान - मिनाल नाले के पास मौके पर

दिनांक 12/01/2021

आज दिनांक 12/01/2021 को संयुक्त निरीक्षण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी एवं नगर निगम से अतिक्रमण प्रभारी श्री नासिर खान एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री एन.के. निसेन कार्यपालन यंत्री एवं टीम, राजहोम्स से प्रतिनिधि श्री राकेश भावसार इंजीनियर एवं शिकायतकर्ता श्री हुकेश किराड एवं अन्य गणमान्य नागरिकजन उपस्थित रहे। मौके पर जाँच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि राजहोम्स द्वारा मेरी जमीन पर नाला निर्माण कर लिया है लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर उपस्थित राजहोम्स के प्रतिनिधि श्री राकेश भावसार द्वारा बताया कि नाले का निर्माण टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के अनुमोदित नक्शे द्वारा किया जा रहा है लेकिन मौके पर अनुमोदित नक्शा या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर जे.सी.बी. से खुदा हुआ नाला 15 मि. चौड़ा 10 मि. गहरा खुदा हुआ पाया गया। उभय पक्षों को अपने दस्तावेज लेकर न्यायालय में दिनांक 18/01/2021 को (दिन सोमवार) अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

12/1/21

A.K. ... E.E (MPPCB)

A.E. 12/01/2021

12/01/2021 (इंजी.) MPPCB

R.I.

पटवारी